REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2025

बस्तर का 1910 का विद्रोह का अध्ययन

डॉ. रश्मि सोनी
शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश –

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दस वर्ष का बस्त के इतिहास में विशेष महत्व है। बस्तर के आदिवासी संघर्षो के इतिहास में 1910 ई. का संघर्ष अपना विशेष स्थान रखता है। संघर्ष के क्षेत्र व गहनता दोनों दृष्टियों से यह व्यापक था। दक्षिणी कोण्डागाँव, छोटे डोंगर के पूर्वी भाग से यह सुदूर दक्षिण में स्थित चीतलनार व सुकमा तक उत्तर से दक्षिण 136 कि.मी. तक और पूर्व से पश्चिम 95 कि.मी. का क्षेत्र इत उथल–पुथल से प्रभावित रहा। इतने बड़े भू–भाग पर इससे पहले बस्तर का कोई विद्रोह प्रसार नहीं पाया था।

प्रस्तावना–

अप्रत्याशित रूप से जिस प्रकार सन् 1857 ई. के सशस्त्र संघर्ष का प्रारंभभारत में हुआ था और अंग्रेज उस संघर्ष को सामने पा हतप्रभ रह गए थे। उन्होंने इसे अपनी गुप्तचर व्यवस्था की असफलता माना था, ठीक वैसी ही स्थिति सन् 1910 के बस्तर संघर्ष की भी रही। बस्तर रियासत के प्रशासन को इसकी पूर्व जानकारी नहीं हो पायी। 13 जनवरी 1910 से 1910 तक पॉलिटिकल एजेन्ट छत्तीसगढ़ ने केशकाल से लेकर भोपालपट्नम तक की बस्तर की गहन यात्रा की थी, मगर उन्हें संघर्ष की भनक तक नहीं लग पाई। सेंट्रल प्राव्हिन्सेस जिसके प्रशासन क्षेत्र में बस्तर आता था, उसके चीफ कमिश्नर को बस्तर रियासत में अशांति व संघर्ष की प्रथम सूचना 7 फरवरी 1910 को बस्तर के तत्कालीन राजा रूद्र प्रताप देव द्वारा प्रेषित तार से मिल पाया।

1910 के इस संघर्ष में भाग लेने वाली प्रमुख जातियाँ थी मुरिया, माडिया, भतरा, परजा, हलबा, धाकड़, गोंड व महरा। जगदलपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित नेतागार इलाके के घरवा (परजा) लोगों ने संघर्ष में बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इन्हीं लोगों ने रियासत में गुप्त दूतों के माध्यम से संघर्ष के लिए तैयार रहने की सूचना पहुँचाई थी। बड़े ही सुसंगठित व सुविचारित ढंग से प्रतीक रूप में दूर–दूर तक एक तीर, एक लाल मिचे, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व भाला की अनुकृति घुमाए गये थे। इस संदेश का आशय बस्तर के आदिवासी परम्परा से जानते आये है। हजारों की संख्या सशस्त्र होकर निर्दिष्ट स्थान में एकत्र होना है। यह वे समझते थे। जगदलपुर को हजारों की संख्या में आदिवासी समूहों ने घेर लिया। सन् 1876 ई. के संघर्ष काल से भिन्न दृश्य था. उस समय आदिवासियों ने केवल शस्त्रों का प्रदर्शन किया था. प्रयोग नहीं किया था। इस समय शस्त्रों का प्रदर्शन व प्रयोग दोनों हुआ।

विषयवस्तु –

1910 ई. के संघर्ष में लाल का प्रत्यक्ष हाथ था। यदि उनका हाथ नहीं रहता तो संघर्ष होता ही नहीं। वे राजा रूद्रप्रताप देव के चाचा थे। 1863 ई. में जन्में लाल का आदिवासियों पर काफी प्रभाव था। श्कालिन्दिर सिंह की मानसिकता के एक छोर पर था उनकी अदम्य महत्वाकांक्षा तो दूसरी छोर था अंग्रेजों के प्रति उनके मन का तीव्र आक्रोश। इस आक्रोश का कारण अंग्रेजों का जब तक उनके प्रत्ति बदलता व्यवहार हैं।

1910 ई. के संघर्ष के कारण –

1910 ई. के संघर्ष के कारणों को समझाने से पूर्व आदिवासी मन की स्थिति को समझना आवश्यक है। यू तो परिवर्तन व विकास की गति धीमी होनी ही चाहिए मगर आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह और निहायत जरूरी हो जाता है कि परिवर्तन व विकास की गति बहुत धीमी हो। सदियों से चली आ रही व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का प्रयास विस्फोटक होता ही है। बस्तर में भी यही हुआ। बस्तर के आदिवासियों का पाला जब स्वार्थी व अनाडी, दरबारी राजनीतिज्ञों से पड़ा तब स्थिति बद से बदतर होती गई।

राजनैतिक कारण –

सन् 1854 ई. से बस्तर ब्रिटिश नियंत्रण में आया। बस्तर राजा के अधिकारयोजना बद्ध तरीके से घटाए गये। राजा नाम मात्र का अस्तित्व रखता था। शासन सूत्र धीरे–धीरे दीवान के हाथों केन्द्रित होता गया। राजा भैरमदेव को भी राज–काज से कोई खास वास्ता नहीं था। 1891 में भैरगदेव की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र रूद्रप्रताप देव गददी पर बैठा। नाबालिग होने के कारण बस्तर डायरेक्ट मैनेजमेंट मे ले लिया गया। एडमिनिस्टेटर नियुक्त किये गये। 11 नवम्बर 1903 ई. से पड़ा बैजनाथ बस्तर के सुप्रिन्टेंडेंट (एडमिनिस्टेटर) नियुक्त किए गये। सन् 1908 में राजा रूद्रप्रताप देव व्यस्क हुए परन्तु आगामी तीन वर्षों तक उन्हें दीवान की सहायता से ही बस्तर का शासन चलाना था। 1910 ई. में बस्तर रियासत में राजा के रूप में अनुभव शून्य रूद्रप्रताप देवथे। राज परिवार में ला कालिंदर सिंह नामक अनुभवी व्यक्ति थे, मगर अंग्रेजों से उसकी बनती न थी, अतः अंग्रेज उन्हें प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे। लाल से अंग्रेज और अंग्रेजों से लाल असंतुष्ट थे। लाल का यह असंतोष 1910 के संघर्ष के मूल राजनैतिक कारणों में में से एक था।

मार्च 1881 ई. में राजा भैरमदेव व बड़ी रानी ने एक सनद द्वारा कालिन्दर सिंह को लगभग पूरी की पूरी प्रशासनिक शक्ति सौंप दी। दीवान के रूप में कालिन्दर के कार्यों से अंग्रेज अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। चीफ कमिश्नर सी.पी. ने 50 पुलिस जवान भेज कर लाल को नागपुर बुलवाया, उसे समझाइश देकर पुनः दीवान के रूप में बस्तर भेजा गया। शेर मुहम्मद खाँ नामक ब्रिटिश भारत का अधिकारी, लाल की सहायता के लिए बस्तर भेजा गया। यह एक प्रयोग था. उसकी पूरी सफलता लाल पर निर्भर थी।

कालिन्दर सिंह ने न तो व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ किया और न शेर मोहम्मद को कुछ करने दिया। उन्हें यह सहय नहीं था कि कोई सलाहकार उनका मार्ग दर्शन करें। प्रशासन ढीला पड़ता गया, रियासत पर ऋण का भार बढ़ने लगा. रियासत दिवालिएपन के कगार पर था। कालिन्दर को दीवान पद से हटाया गया, मि. कृष्णाराव दीवान बनाकर बस्तर भेजे गए। कालिन्दर को रायपुर में रखा गया। राजा भैरमदेव की मृत्यु होने पर भी कालिन्दर का प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। कालिन्दर सिंह ष्वर्तमान शासन व्यवस्था को घृणा की दृष्टि से देखे थे, जिसके तहत् उन्हें दर किनार, शक्ति विहीन कर दिया गया था। प्रशासन को परेशानी में डालने के लिए वे सामर्थ्य अनुसार सब कुछ कर रहे थे। रियासत से बाहर कर दिए जाने से बचकर। श्री फ्रेशर कमिश्नर छत्तीसगढ़ ने उनके संबंध में 1892 ई. में टीप दी थी।[ष] दूसरी ओर लाल को यही लगता था कि शक्ति प्राप्त करने के उनके मार्ग में अंग्रेज ही बाधक हैं और यदि वे प्रयास करें तो स्थिति को अपने अनुकूल बना सकेंगें। यही प्रयास उन्होनें 1910 ई. में किया। लाल को मात्र एक सौ रूपए मासिक भत्ता मिलता था जो कम था। सीमित आय व असीमित व्यय के कारण वे ऋणाग्रस्त रहते थे। दीवान को उनका जगदलपुर में रहना भी मंजूर नहीं था। मरदापाल में उन्हें करने की हिदायत दी गई। रियासत में वनों के आरक्षित किए जाने के दौरान लाल के भी कुछ गाँव आरक्षित क्षेत्र में आए, उन्हें क्षतिपूर्ति पेशकश की गई मगर गाँवों से वंचित किए जाने के साजिश के रूप में इसे उन्होंने लिया।

लाल ने 1876 की भांति आदिवासियों का प्रदर्शन कराकर दीवान व राजगुरू को रियासत से निष्कासित देखना चाहते थे। लाल ने आदिवासियों को सशस्त्र जगदलपुर बुलवाया मगर यह स्पष्ट निर्देश दिया कि लाल के जगदलपुर पहुँचने से पूर्व कुछ उत्पात न मचाया जाए। वे समझौते का मार्ग सुरक्षित रखे थे। सन् 1910 ई के संघर्ष ने लाल कालिन्दर सिंह को एक बार पुनः चर्चित व्यक्तित्व बना दिया। अपने प्रभाव का प्रदर्शन उन्होनें कर दिखाया। बस्तर के इतिहास में उन्हें विशेष स्थान इस संघर्ष ने दिया। इस संघर्ष के अभाव में लाल बस्तर इतिहास में एक सामान्य व्यक्तित्व के रूप में ही रहते।

सुवर्णा कुँवर की ईर्ष्या और उपेक्षा –

राजपरिवार का षडयंत्रों भरा वातावरण भी 1910 ई. के ब्रिदोह का एक कारण था। सी.पी. के चीफ कमिश्नर ने विद्रोह के जो चार प्रमुख कारण बतलाए उसमें दूसरे क्रम में रानी सुवर्ण कुंवर की ईर्ष्या व उपेक्षा को कारण रखा है। राजपरिवार की यह राजमाता महत्वहीन समझी जाती थी। राजकाज में उसकी सलाह कोई नहीं लेता था। उसका नाम सुवर्ण कुंवर था। राजा भैरमदेव की यह दूसरी पत्नी थी। नई व्यवस्था से उनका तालमेल नहीं बैठा क्योंकि वे इस सिद्धांत के हिमायती थी कि रियासत राजपरिवार के लिए है।

राजा भैरमदेव को नपुंसक बतलाते हुए सुवर्णा कुंवर ने उसके होने वाले बच्चे को राजगुरू का बतलाकर रियासत में राजा की स्थिति को खराब बनाया। राजमाता को जो सम्मान मिलता था वह नहीं मिला। अपनी उपेक्षा के लिए वे दीवान व राजगुरू को कारण मानती थीं। दोनों को रियासत से निष्कासित करना चाहती थी। प्रजा नेताओं को 1908 ई. में उसने स्पष्ट कहा था कि आदिवासियों की

परेशानियों, समस्यायें तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वे विद्रोह का रास्ता नहीं अपनायेंगे। विद्रोह प्रारंभ होने पर जब अंग्रेजी टुकड़ी बस्तर पहुंची तब 6 मार्च 1910 को सुवर्ण कंवर गिरफ्तार कर ली गई। महल के एक कमरे में उन्हें नजरबंद रखा गया। 18 अप्रैल 1910 को पंजाब वाहिनी के साथ उन्हें रायपुर जेल भेजा गया। निर्वासित अवस्था में ही 26 अक्टूबर 1910 ई. को उनकी मृत्यु रायपुर में हो गई।

राजा रुद्रप्रताप देव से असंतोष –

1910 ई. के संघर्ष का एक उद्देश्य तत्कालीन राजा रूद्रप्रताप देव को हटाकर उसके स्थान पर राजपरिवार के दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बैठना था। आदिवासी राजा को हटाना चाहते थे, यह बात आदिवासी नेता सुकटा धाकड़ ने अपने अनुयायियों से कहीं। पहले का राज अब समाप्त हो गया, अब मुरिया राज आ गया है। वनों का आरक्षण, नए स्कूल का खोजा जाना, छात्रों व पालकों को तंगाया जाना. बेगार, शोषण, बिसाहा सभी शिकायतों के लिए राजा को ही दोषी ठहराया गया।

राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं था। विद्रोह के समाचार ने उनके हाथ–पाँव फूला दिए और वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। 11 फरवरी 1910 ई को पटरानी साहिबा ने एक कन्या को जन्म दिया, तब राजा के विचारों में परिवर्तन आया।

दीवान पंडा बैजनाथ से असंतोष –

दीवान के रूप में पंडा बैजनाथ पदस्थ था। सभी का आक्रोश उसी पर था। लाल कालिन्दर सिंह, सुवर्ण कुंवर, प्रमुख दरबारी, आदिवासी नेता सभी पढा बैजनाथ को हटाना चाहते थे। लाल स्वयं दीवान बनना चाहते थे। राजा व अपने बीच पंडा को बाधक मानते थे। राजमाता भी राजा व अपने बीच पंडा को बाधक मानती थी। 1907 में बस्तर में 3 आरक्षित वन क्षेत्र बनाए जाने से आदिवासी पंडा नाराज थे। नए स्कूलों के खलने, मास्टरों व मानिटरों के तंगाए जाने के लिए भी पंडा को ही कारण माना गया। बेगार, बिसाहा ठेकेदारों के शोषण सभी के लिए दीवान पर लोगों का गुस्सा फूटा। 1876 ई. की भांति दीवान हटाओं बस्तर बचाओं आंदोलन चला। चीफ कमिश्नर ने अपनी रिर्पोट में दीवान पंडा बेजनाथ के विरूद्ध जगदलपुर के कुछ प्रमुख हिन्दूओं का षडयंत्र बताया। मूरत सिंह बख्शी, बाला प्रसाद नजीर सोमनाथ वैध वीरसिंह. कायस्थ, मुकुन्द देव माछमारा, बहादुर सिंह, कुंवर दुर्जन सिंह, बच्चू प्रसाद पंडित. दुलार सिंह कायस्थ प्रमुख षडयंत्रकारी थे।

आदिवासी नेता भी पंडा से नाराज थे। 25 सशस्त्र माडिये पंडा की हत्या के लिये भेजे गये। इससे स्पष्ट है कि 1910 के विद्रोह के संदर्भ में पंडा बैजनाथ दीवान से असंतोष प्रमुख कारण था।

आदिवासियों का असंतोष –

वनों के आरक्षित किए जाने से आदिवासी असंतुष्ट थे। अंग्रेज अधिकारियों के निर्देश पर ही वनों के आरक्षित किए जाने का दौर–दौरा प्रारंभ हुआ। मि. स्मिथ ने वनों की नई व्यवस्था से आदिवासियों में तीव्र असंतोष की चर्चा की है और उसे विद्रोह का प्रथम कारण निरूपित किया है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन की मनाही इन क्षेत्रों में थी। लकड़ी व वनोपज ले जाना मना था। आरक्षित वन व्यवस्था आदिवासियों को भारी पड़ रही थी। 2122 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र पहले चरण में आरक्षित किया गया। कुल 6400 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र को आरक्षित किया जाना था। जन साधारण को इससे होने वाली परेशानियों को नजर अंदाज कर दिया गया था। आरक्षित वन व्यवस्था पादिवासी के लिए नई चीज थी। यह उनके मन मस्तिष्क में स्थान नहीं बना पाही थी। गाँव के गाँव खाली कराए जा रहे थे और आरक्षित वनों का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा था। मुआवजे की व्यवस्था थी मगर वह आदिवासी के लिए अर्थ नहीं रखता था। जमीन का छिना जाना, प्रतिष्ठा का छिना जाना था। लाल, आदिवासियों को इस व्यवस्था के खिलाफ भड़काते थे।

नए स्कूलों का खुलना भी आदिवासी असंतोष का कारण बना। 1886–87 में स्कूलों की स्थापना का क्रम प्रारंभ हुआ। 1889 से 1898 के मध्य स्कूलों की संख्या बढ़कर 58 तक पहुँच गई। ये स्कूल स्थानीय मांग पर नहीं वरन प्रशासन की इच्छानुसार खोले गए। स्टेन्डन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि – स्कूल खोलने के नाम पर धन वसूली, स्कूल भवन निर्माण के लिए बेगार लिया गया। भवन निर्माण के लिए ईंट, बॉस को रेगुलर रिव्होल्ट आंगेस्ट स्कूल्स के कारण थे। 60 में से 45 स्कूल विद्रोह काल में जला डाले गए। इससे स्पष्ट होता है कि स्कूलों के प्रति आदिवासी समाज की नाराजगी कितनी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पालकों को प्रत्ताडित किया जाता था। बच्चे का स्कूल जाना अर्थात काम करने वाले दो हाथों की कमी थी।

अधिकारी–कर्मचारी के दुर्व्यवहार, बाजार भाव से कम दाम पर सामान खरीदना, शोष, बेगार प्रवासी जनों से असंतोष अन्य कारण थे। इन शार्ट हट बास ए मूव्हमेंट ऑफ बस्तर स्टेंट फॉर बस्तर फारेस्ट डेवलर्स। स्टैंडन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। माफी भूमि का अपहरण, शराब, ठेकेदारों के अत्याचार, महंगाई की मार भी कारण थे।

इन लोगों ने बस्तर रियासत ओर ब्रिटिश गर्वमेंट के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया है। उपरोक्त महत्त्वपूर्ण बात लिखकर सी.पी. के चीफ सेक्रेटरी ने अंग्रेजी राज के प्रति आदिवासियों का असंतोष बतलाकर दबे स्वर में मूल बात लिखी है। 27 मार्च 1910 ई. को अलनार–संघर्ष में एक आव्हान दर्शाता है कि अंग्रेज और अंग्रेजी राज के आदिवासी विरोधी थे। मि. स्मिथ ने भी लिखा है कि–द आइडिया वास टू मैक द राज देशी अगेन। इस प्रकार से अंग्रेजी रात से असंतोष भी 1910 ई. के बस्तर विद्रोह का कारण था।

प्रमुख घटनाएँ –

पुलिस गोली चालन से 39 आदिवासी मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, सैकड़ों को बेतों से पीटा गया. लगभग 44 हजार रूपएं अर्थदण्ड के रूप में वसूल किए गए। कई गाँव क्रूरता पूर्वक जला दिये गये। विद्रोह को दबाया गया। 200 पुलिस सेंट्रल प्राव्हिसेंस से 150 पुलिस मद्रास प्रेसिडेन्सी से 170 सैनिक वाहिनी के बस्तर भेजे गए। 16 फरवरी से 3 मई 1910 ई. तक विद्रोह का दमन शमन चला।

2 फरवरी को पूसपाल बाजार की लूट से 1910 ई. का विद्रोह प्रारंभ हुआ। दुकान लूटे गए, 4 फरवरी को कूकानार बाजार लूटा गया। पुलिस कर्मी व उनके परिवार के लोगों को सताया गया। नुरसन खाँ नामक रूहेला मारा गया। बुन्टू परजा व सोमनाथ धाकड़ को इसके लिए मृत्युदंड दिया गया। स्कूल भवन, थाना, वन कार्यालय, कॉजी हाउस जलाए गए। 5 फरवरी को करजी बाजार लूटा गया. 9 फरवरी को बस्तर के पास तार की लाइन काटी गई। कुआकोड़ा परगने में वन कर्मचारी मारा गया। बारसूर, दंतेवाड़ा, भैरमगढ़ इलाके में भी विद्रोह फैला। जगदलपुर शहर घेर लिया गया। जिन गांवों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया उसके प्रमुखों को पिटा गया। अंग्रेजी सहायता मिलने के पश्चात् दमन चक्र चला। लाल कालिन्दर सिंह, सुवर्ण कुवर व अन्य 15 प्रमुख

नेता गिरफ्तार किए गए। गुन्डाधुर भूमिगत हो गया. आज तक उसके बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली कि उसका अंत कहाँ, कैसे हुआ। विद्रोह प्रचारित प्रसारित करने वाला व संघर्ष में नेतृत्व करने वाला वह प्रमुख आदिवासी नेता था। जगदलपुर का घेरा तोडा गया व अन्य स्थानों पर भी विद्रोहियों का दमन किया गया। मि. गेयर व डी.ब्रे. प्रमुख अंग्रेज थे, जिन्होंने यह किया।

1910 ई. के विद्रोह की असफलता के कारण –

लगभग तीन माह तक चलने के पश्चात् विद्रोह असफल रहा। यह संघर्ष शीशे और पत्थर का था जिसमें शीशा पत्थर से टकराए चाहे पत्थर शीशे से चूर–चूर तो शीशे को ही होना था। अस्त्र–शस्त्र, संगठन, आधुनिक संचार साधन, नेतृत्व सभी दृष्टियों से आदिवासी उन्नीस ही बैठते थे।

असफलता के निम्नलिखित कारण रहे है –

(1) बस्तर के आदिवासी किसी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में तो 1876 की घटनाएँ दृष्टांत रूप में थी वे मानकर चल रहे थे कि वे अपनी बात छुटपुट मारपीट, आगजनी, घेरे बंदरी करके मनवा लेंगे।

(2) आदिवासियों की तैयारी अधूरी थी। ब्रिटिश टुकडी जब जगदलपुर पहुँची और स्थान–स्थान पर तलाशी लेकर अस्त्र–शस्त्र जप्त किए गए तो उन्होने आदिवासियों द्वारा अर्धनिर्मित तीर जप्त किए। संघर्ष प्रारंभ हो गया था और आदिवासी अस्त्र–शस्त्र बना रहे थे, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संघर्ष की परिणति क्या हुई होगी।

(3) अस्त्र–शस्त्र की दृष्टि से आदिवासी समाज कमजोर था। अंग्रेजी सेना व पुलिस के पास आधुनिकतम रायफले थी, मशीन थे. एक पूरी मशीनरी थी जो बड़े युद्धों का संचालन कर चुकी थी। आधुनिक हथियारों के सामने तीर–धनुष, तलवार, कुल्हाड़ी कोई मायने नहीं रखते थे।

(4) अंग्रेजों के पास संचार व आवागमन के सुगम व तीव्रगामी साधन थे। आदिवासी घोड़ों से डरते थे। तार लाइन के बिछ जाने से समाचार तत्काल भेजा जा सकता था और आवश्यकतानुसार सैनिक व अस्त्र–शस्त्र मंगवाए जा सकते थे।

(5) लाल कालिन्दर सिंह विद्रोह के शीर्ष नेता थे, मगर उन्होने सशस्त्र आदिवासियों को जगदलपुर घेरने के लिए बुलवाया मगर स्पष्ट निर्देश दिया कि उनकी आज्ञा के बिना लड़ाई न लड़ी जाए। लाल जगदलपुर पहुँचे मगर नजरबंद कर लिए गए और लडाई का आदेश विद्रोहियों को नहीं मिल पाया, कर्तव्य वियूद्ध अवस्था में वे रह गए।

विद्रोह के परिणाम –

असफलता के बावजूद 1910 ई. बस्तर विद्रोह के अनेक परिणाम निकले–

(1) पंडा बैजनाथ के विरूद्ध आदिवासियों का आक्रोश रंग लाया। विद्रोह के दौरान पंडा रियासत से बाहर जाने के बाद फिर बस्तर नहीं लौटे। विद्रोहियों की पहली सफलता पंडा बैजनाथ का दीवान पद से हटाया जाना था। मि. जे.मे. को दीवान पद पर नियुक्त किया गया।

(2) राजा रूद्रप्रताप देव का स्वभाव बदला, अब आदिवासी नेताओं से वे भेंट करने लगे, उनकी समस्या सुनने लगे। राजा को राजकाज में रूचि लेने के लिए नए दीवान ने प्रयास किए। 1910 ई. के संघर्ष के फलस्वरूप राजा को अपना संकोची, लज्जायुक्त स्वभाव छोड़ना पड़ा और आदिवासियों से लगातार मिलने का स्वभाव बनाना पड़ा। राजा का स्वभाव परिवर्तन संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था।

(3) वनों के आरक्षण का प्रश्न विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। संघर्ष के पश्चात् वननीति की समीक्षा की गई। नए आरक्षित वन क्षेत्र बनाने से पूर्व सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की आवश्यकता महसूस की गई। 1911 ई. में कोई नया आरक्षित वन क्षेत्र नहीं बनाया गया। दीवान नए वन क्षेत्र का गहन दौरा कर, सभी प्रमुखों से भेंट कर रिपोर्ट देंगे। उसके पश्चात् ही क्षेत्र आरक्षित किया जाना तय हुआ। पहले यह 4000 वर्ग मील थां आरक्षित वन क्षेत्र से भी आदिवासियों को सूखी लकड़ी, घास, पत्ते, फल, कंदमूल इकट्ठा करने की छूट दी गई।

(4) संघर्ष काल में 60 में से 45 स्कूल विद्रोहियों द्वारा जला डाले गए थे। स्कूली की अलोकप्रियता सिद्ध हो चुकी थी। गाँव वाले स्वयं स्कूल खोले और शिक्षक रखें, स्कूल का समय अपनी इच्छानुसार रखें। स्कूल भवन के लिए जितनी लकड़ी व बॉस चाहिए। आवेदन लेकर निः शुल्क प्राप्त कर सकते थे। गाँव वालों द्वारा संचालित स्कूलों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई. बाद में इन्हें सरकारी बनाया जा सकता था।

(5) विद्रोह के दमन में कड़ाई बरती गई। सैकड़ों लोगों को बेरहमी से कोड़ों से मारा गया, अर्थदण्ड दिया गया। बड़े किसान से 5 रूपए व छोटे से 2.50 रूपए प्रति हल के हिसाब से दंड वसूला गया। आदिवासियों के अस्त्र–शस्त्र छिन लिए गये। पुलिस व सैनिकों के द्वारा आदिवासी स्त्रियों से बलात्कार किया गया। प्रमुख आदिवासी नेता रायपुर जेल भेजे गये। लाल कालिन्दर सिंह, रानी सुवर्ण व अन्य प्रमुख हिन्द नेता निर्वासित किए गए। भय व आतंक का वातावरण निर्मित किया गया।

(6) आदिवासी अनेक असुविधाओं से मुक्त किए गए अधिकारी / कर्मचारी का व्यवहार बदला, बेगार से काफी हद तक मुक्ति मिली। बिसाहा प्रथा से भी मुक्ति मिली। राजा रुद्रप्रताप देव राजा बने रहे मगर उनका व्यवहार बदला।

(7) लाल कालिन्दर सिंह को 1910 ई. के विद्रोह का नेतृत्व करेन की सजा मिली। वे उत्तराधिकारी पद से हटा दिए गए। स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के चक्कर में कालिन्दर सिंह ने स्थिति को पूर्णतः प्रतिकूल बना डाला। रियासत ने निष्कासित अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई।

निष्कर्ष –

योजना व केन्द्रीय संगठन के अभाव, कार्यवाही में विलंब, रूद्रप्रताप देव के लिए समय अनुकूल होना, लाल कालिन्दर सिंह की अनिर्णयात्मक स्थिति में रहना, अधिसंख्यक मुखियों व जमींदारों का राजभक्त बने रहना। अंग्रेजों की सुदृढ़ स्थिति कतिपय ऐसे कारण है जिनके फलस्वरूप 1910 का बस्तर विद्रोह असफल रहा। सफलता अथवा असफलता की परवाह न करते हुए सर पर कफन बांधकर बस्तर के आदिवासी निकल पड़े और अपने संतोष व शिकायतों को उचित अधिकारियों तक पहुँचाने में सफल रहे। जनधन की हानि उठाकर भी आदिवासियों ने जीवन मूल्यों की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। अपने पेट के लिए, अपने लाल कालिन्दर सिंह के लिए बस्तर के आदिवासियों ने मरने मारने की मुद्रा बनाई और रियासत को चार महिनों तक अशांत रखा, राजा को अशांत रखा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस के अनेक खण्ड.
2. सिन्हा एच.एन. सिलेक्शंस फ्राम नागपुर रेसिडेन्सी रिकार्डस खण्ड 1, 2, 3, 4 एवं 5.
3. एगन्यू पी. वान्स, ए रिपोर्ट ऑफ द सूबा ऑफ छत्तीसगढ़, 1820 ई.
4. एचिसन सी.एच.ए. कलेक्शंस ऑफ टीटीस, इंगेजमेंटस एण्ड सनदस रिलेंटिंग टू इंडिया एण्ड नेवरिंग कन्ट्रिस खण्ड–2.
5. इलियट, ए रिपोर्ट ऑन बस्तर एण्ड करोंद, 1861 ई. प्रकाशन.
6. अर्ली यूरोपियन ट्रैव्हलर्स इन द नागपुर टेरेरिस, 1930 ई.
7. हेविट जे.एफ.के., रिपोर्ट ऑन द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द रायपुर डिस्ट्रिक्ट 1869 ई. प्रकाशन.
8. त्रिपाठी संजय विपाती श्रीमती चंदन छत्तीसगढ़ सर्ग उपकार प्रकाशन–2009,पृष्ठ 350
9. गुगौरिया बी.एल., शर्मा विवेक छत्तीसगढ़ का इतिहास, भार्गव प्रकाशन, दतिया (मप्र) 2009
10. बेहार, रामकुमार छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रथ अकादमी, रायपुर(छ.ग.), प्रथम 2009, पृ. 251–252
11. त्रिपाठी संजय, त्रिपाठी श्रीमती चंदन छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ, उपकार प्रकाशन, आगरा–2 2009, पृ. 357
12. गुगौरिया बी.एल. शर्मा विवेक छत्तीसगढ़ का इतिहास, भार्गव प्रकाशन, दतिया (म.प्र.), 2009, पृ 176–177.

13. झा विभाष कुमार, नैयर डॉ. सौम्या छत्तीसगढ़ समग्र, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.), द्वितीय 2013, पृ. 410–412

डॉ. रश्मि सोनी
शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.)